न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर दौसा

पीठासीन अधिकारी : आर. के. मीना, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या : 27 / 2021 नामान्तरकरण अपील

1. शिवचरण पुत्र किशोरीलाल जाति मीणा निवासी घूमणा तहसील सिकराय जिला दौसा।

अपीलान्ट

बनाम

1. गिर्राज पुत्र किशोरीलाल
2. लालाराम पुत्र किशोरीलाल
3. चेतराम पुत्र किशोरीलाल

   समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम घूमणा तहसील सिकराय जिला दौसा।
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सिकराय जिला दौसा।

रेस्पोडेन्ट्स

(अपील विरूद्ध निर्णय तहसीलदार सिकराय बाबत् नामा. संख्या 713 दिनांक 14.6.2000

उपस्थिति :– 1 :श्री मिट्ठन लाल गुर्जर अधिवक्ता अपीलान्ट उपस्थित ।
2: रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 3 स्वयं उपस्थित।
3. राजकीय अधिवक्ता उपस्थित।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

–: निर्णय :–

दिनांक: 07.01.2022

संक्षिप्त में अपील के तथ्य इस प्रकार से है कि तहसीलदार सिकराय द्वारा खोले गये नामा. संख्या 713 दिनांक 14.6.2000 में अपीलान्ट का नाम सुरेश अंकित कर गलत नामान्तरकरण तस्दीक किया गया है जबकि अपीलान्ट का वास्तविक नाम शिवचरण है। सुरेश के नाम से ही नामान्तरकरण खोला गया है व तस्दीक किया गया है। अपीलान्ट का सही नाम दर्ज कर नामान्तरकरण खोले जाने व तस्दीक किये जाने हेतु यह अपील अपीलान्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

अपील पेश होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर तलबी रेस्पोडेन्ट्स की गयी। प्रकरण से सम्बन्धित मूल नामान्तरकरण अभिलेख तलब किया गया। अधिवक्ता अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा. 3 व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलान्ट द्वारा बहस के दौरान निवेदन किया कि तहसीलदार सिकराय ने प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 713 दिनांक 14.6.2000 में अपीलान्ट का नाम सुरेश अंकित कर गलत नामान्तरकरण तस्दीक किया है जबकि अपीलान्ट का सही व वास्तविक नाम शिवचरण है। अपीलान्ट का सही नाम दर्ज कर नामान्तरकरण खोला जाना व तस्दीक किया जाना आवश्यक है। अपीलान्ट के शैक्षणिक दस्तावेज मार्कशीट व अन्य उच्च शिक्षा में सही व वास्तविक शुद्ध नाम शिवचरण ही अंकित है तथा आधार कार्ड ड्राईविंग लाइसेन्स, आयकर विभाग द्वारा जारी प्रमाण पत्र स्थाई लेखा संख्या, भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल गृह मंत्रालय द्वारा जारी पहचान पत्र में भी अपीलान्ट का नाम शिवचरण पुत्र किशोरीलाल ही अंकित है।

अति. जिला कलक्टर
दौसा

नामान्तरकरण खोलते समय अपीलान्ट 15 वर्ष का नाबालिग बालक था। अपीलान्ट के नाम के सम्बन्ध में अपीलान्ट से व अपीलान्ट के परिजनो से पटवारी व राजस्व कर्मचारियों ने कोई पूछताछ नहीं की। प्रश्नगत नामान्तरकरण किशोरी पुत्र नहन्या के फौत हो जाने पर विरासत का नामान्तरकरण खोला गया है। मृतक किशोरीलाल के चार पुत्र गिर्राज, सीताराम, चेतराम एवं शिवचरण(अपीलान्ट) है। अपीलान्ट को सुने बिना ही प्रश्नगत नामान्तरकरण में शिवचरण के बजाय सुरेश अंकित कर नामान्तरकरण तस्दीक कर दिया गया है। अधिवक्ता अपीलान्ट ने अपील स्वीकार फरमाकर नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम सुरेश के स्थान पर शिवचरण पुत्र किशोरी अंकित किये जाने का निवेदन किया।

जवाब बहस में अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 3 द्वारा निवेदन किया गया कि अपीलान्ट का वास्तविक नाम शिवचरण है। सुरेश प्यार का नाम था परन्तु शिक्षा व अन्य सरकारी/गैर सरकारी संस्थान में शिवचरण पुत्र किशोरी दर्ज रहा है। नामान्तरकरण में अपीलान्ट का नाम सुरेश के स्थान पर यदि शिवचरण किया जाता है तो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगा. 3 को कोई आपत्ति नहीं है। राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान नामान्तरकरण में दुरूस्ती किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया।

हमने अधिवक्ता अपीलान्ट एवं राजकीय अधिवक्ता की बहस एवं रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। जिससे स्पष्ट है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 लगा. 3 द्वारा प्रश्नगत नामान्तरकरण में सुरेश के स्थान पर शिवचरण का नाम दुरूस्त किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया है। राजकीय अधिवक्ता द्वारा भी प्रकरण को रिमाण्ड किये जाने में कोई आपत्ति नहीं होना व्यक्त किया गया। ऐसी स्थिति में प्रकरण तहसीलदार सिकराय को रिमाण्ड किया जाना हम उचित समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 713 दिनांक 14.6.2000 ग्राम घूमणा तहसील सिकराय निरस्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार सिकराय को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाता है कि प्रकरण में उभयपक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर एवं सम्बन्धित रिकॉर्ड का गौरपूर्वक अवलोकन कर तथा मृतक किशोरी पुत्र नहन्या कौम मीना के वारिसान के सम्बन्ध में अपेक्षित जांच कर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख वापिस भिजवाया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 07.01.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय की मुद्रा से खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(आर. के. मीना)
अति0 जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official